न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.

जी.सी.एस.एम— 2025/81
पत्रावली संख्या 15/2025
किस्म :— प्रार्थना—पत्र
दायर दिनांक :— 09.01.2025
निर्णय दिनांकः— 26.02.2026

अनवान

1— रामचन्द्रीबाई पत्नि शंकरलाल जाति सुथार निवासी व तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थी

बनाम

1— भुमिधारक एंव तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,135,136,एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः—
प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता प्रकाशचन्द्र खटीक
अप्रार्थी की ओर से :—पैरोकार सरकार

—:निर्णयः—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,135,136,एल0आर0एक्ट0 के तहत प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा, पटवार हल्का रेलमगरा में प्रार्थिया के स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजीयात् जिसके आराजी नम्बर 3923/3809 रकबा 1.7806 हेक्टेयर है। यह कि उक्त आराजीयात् 3923/3809 के पुराने राजस्व रेकार्ड के नक्शे व वर्तमान् डिजिटल (ऑनलाईन) नक्शे में विरोधाभास है क्योंकि राजस्व रेकार्ड के पुराने नक्शे के पश्चिम दिशा की तरफ डोट डोट लाईन अंकित है जो राजस्व रेकार्ड के चिन्ह के अनुसार एक पगड्डी के रूप में है इस डोट डोट लाईन के पश्चात् आराजी संख्या 3809/2670 है तथा वर्तमान में डिजिटल (ऑनलाईन) नक्शे में आराजी संख्या 3809/2670 के पूर्व दिशा की तरफ जो डोट डोट लाईन है, उसको आराजीयात् में बदलते हुऐ प्रार्थिया के आराजी संख्या 3923/3809 अंकित कर दिये गये ओर जहां पर आराजी संख्या 3923/3809 को हटा दिया गया और नक्शे में वहां पर आराजी संख्या 2670 अकिंत कर दिया गया है जो

सहायक कलकटर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वर्तमान में अभी अंकित कर रखा है। यह कि प्रार्थिया की आराजी संख्या 3923/3809 रकबा 1.7806 हेक्टेयर होकर पुराने राजस्व रेकार्ड के नक्शे में राजस्व विभाग की गलती के कारण उक्त आराजीयात् के पश्चिम दिशा की तरफ जो डोटेड लाईन की जगह आराजी संख्या 3923/3809 का गलत अंकन हुआ है उस इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने की आवश्यकता है। इसलिये वर्तमान् डिजिटल नक्शे में जो आराजी संख्या 3923/3809 का इन्द्राज गलत हुआ है उस इन्द्राज को दुरूस्त कर पुराने राजस्व नक्शे के अनुसार इन्द्राज किया जावें, जिस हेतु उक्त इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थना पत्र का हेतुक दिनांक 02.12.2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थिया के बैंक में केसीसी कराने हेतु वर्तमान राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी व नक्शे की आवश्यकता हुई जिससे नकले प्राप्त की तो पता चला कि पूर्व के राजस्व रेकार्ड के नक्शे व वर्तमान् राजस्व रेकार्ड के डिजिटल नक्शे में विरोधाभास है जिससे प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि प्रार्थना पत्र के पक्षकारान् आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार के निवासी है तथा विवादग्रस्त आराजीयात् आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का आदेश पारित फरमाया जावे कि वर्तमान् डिजिटल नक्शे (ऑनलाईन) में आराजी सं. 3923/3809 रकबा 1.7806 हेक्टेयर का अंकन गलत हुआ है उसे दुरूस्त कर पुराने राजस्व नक्शे के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश फरमाया जायें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी कि और जवाब के रूप में इन्द्राज दुरुस्ती के संम्बध में जांच रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक रेलमगरा से करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है, यह कि राजस्व ग्राम रेलमगरा के आरजी संख्या 2670 रकबा 2.6062 हेक्टेयर भूमि भवलाल पुत्र कालूराम ब्राहमण एवं आराजी संख्या 3923/3809 रकबा 1.7806 हेक्टेयर भूमि रामचंदरी बाई पत्नि शंकर लाल सुथार सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्व ग्राम रेलमगरा की पटवार मण्डल पर उपलब्ध नक्शा शीट अनुसार आराजी संख्या 2670 व 3923/3809 दोनी अलग अलग आराजी होकर नक्शा ट्रेस अनुसार है आराजी संख्या 3923/3809 के पश्चिम दिशा में डॉट लाइन द्वारा रास्ते का अंकन है जो आराजी संख्या 3923/3809 का ही भाग है। यह कि वर्तमान ऑनलाइन भू– नक्शा में आराजी संख्या 3923/3809 को रास्ते के रूप में अंकित किया गया व आराजी संख्या 2670 को रामचदरी बाई के खेत को शामिल करते हुए बताया जो वक्त सेवीनेसन सहवन से गलत दर्ज हो गया। यह कि मौके पर दोनों आराजियात (खेत) का बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है व पश्चिम दिशा में 12 फीट चौड़ा रास्ता निकला हुआ है जो डॉट लाइन द्वारा दर्शया गया है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः ऑनलाइन भू नक्शा को प्रस्तावित नक्शा अनुसार शुद्वी किया जाने का प्रस्ताव तैयार कर रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवलोकन करने से जाहिर आया है कि पटवार मण्डल पर उपलब्ध नक्शा शीट अनुसार आराजी संख्या 2670 व 3923/3809 दोनी अलग– अलग आराजी होकर नक्शा ट्रेस अनुसार है, आराजी संख्या 3923/3809 के पश्चिम दिशा में डॉट लाइन द्वारा रास्ते का अंकन है जो आराजी संख्या 3923/3809 का ही भाग है। यह कि वर्तमान ऑनलाइन भू– नक्शा में आराजी संख्या 3923/3809 को रास्ते के रूप में अंकित किया गया व आराजी संख्या 2670 के खेत को शामिल करते हुए बताया जो वक्त सेवीनेसन सहवन से गलत दर्ज हो गया। यह कि मौके पर दोनों आराजियात (खेत) का बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है व पश्चिम दिशा में 12 फीट चौड़ा रास्ता निकला हुआ है जो डॉट लाइन द्वारा दर्शया गया है। प्रार्थी के राजस्व रिकोर्ड मे शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है कि –

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,135,136,एल0आर0एक्ट0 के तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता हैं कि प्रार्थी की ग्राम रेलमगरा में स्थित आराजी संख्या 3923/3809 वर्तमान ऑनलाइन भू– नक्शा में गलत अंकन हो गया है, उसे पुराने नक्शे शीट अनुसार शुद्धि किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रेलमगरा पालना करा रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार हेाकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बिन्दु बाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा